दिनांकः 30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा नाबालिक युवती के अपहरण के मुकदमें में लगातार 22 वर्षों से फरार चल रहे 15000/- रूपये के ईनामी वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.06.2002 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त जुबैर पुत्र नसीम नि0ग्राम चुडियाला थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 89/2002 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/ इनामी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पिछले 22 वर्षो से फरार चल रहे 15000/- रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त **जुबैर पुत्र नसीम नि0ग्राम चुडियाला थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार** को मैन रोड से ग्राम रुण्डाली को जाने वाले रास्ते से अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। जिस पर **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था अभियुक्त पुलिस से बचने के लिये अपना नाम व पता छुपाकर फर्जी नाम विजय पुण्डीर पुत्र शिवशरण नि0 ग्राम झीबरहेडी पोस्ट कारवारी ग्रान्ट थाना पटेल नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड बनकर रह रहा था तथा अभियुक्त ने अपने फर्जी नाम विजय पुण्डीर के नाम से हाईस्कूल व इण्टर के फर्जी कागज बनवाकर अपना आधार कार्ड , पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, एटीएम, आईकार्ड, आदि कागजात बनावाकर रह रहा था।** गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से जुबैर पुत्र नसीम नि0ग्राम चुडियाला के पते का वोटर आईडी कार्ड तथा फर्जी नाम विजय पुण्डिर के नाम का एक आधार कार्ड , एक पैन कार्ड, दो ड्राईविंग लाईसेन्स, एक स्कूटी की आरसी ,दो एटीएम ,एक आईकार्ड ,एक मैरिज प्रमाण पत्र, व एक वोटर आईडी व एक वोटर आईडी की छायाप्रति व एक मोबाईल फोन बरामंद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 261/24 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जुबैर पुत्र नसीम निवासी ग्राम चुडियाला थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 आधार कार्ड
- 01 पैन कार्ड
- 02 ड्राईविंग लाईसेन्स
- 01 स्कूटी की आरसी
- 02 एटीएम

- 01 आई कार्ड
- 01 मैरिज प्रमाण पत्र
- 01 वोटर आईडी
- 01 वोटर आईडी की छायाप्रति
- 01 मोबाइल फोन

अभियुक्त जुबैर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 89/2002 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 261/24 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना गागलहेडी स0पुर
2. उ0नि0 श्री लोकेश सिंह राणा थाना गागलहेडी स0पुर
3. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना गागलहेडी स0पुर
4. हे0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी स0पुर
5. हे0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी स0पुर
6. का0 1768 आकाश थाना गागलहेडी स0पुर

दिनांकः 30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में 03 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 29.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा **अलग-अलग प्रकरणो में 03 वारण्टी अभियुक्तगण 1. सतवीर पुत्र विशम्बर नि0 ग्राम सिंहखेडा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 118/19 धारा 406 भादवि थाना रामपुर मनि0 (मा0 न्यायालय जे0एम0-प्रथम सहारनपुर) को ग्राम सिंहखेडा से, 2**. साबिर पुत्र अब्बास नि0 ग्राम नाई नंगली उर्फ माजरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 2374/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना रामपुर मनि0 (मा0 न्यायालय एडीजे-1 सहारनपुर) को ग्राम नाई नगली माजरी से व **3. बलवन्त उर्फ बन्ता पुत्र गुरचरण नि0-ग्राम जानखेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0-652/2019 धारा- 60(2) आबकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0 (मा0 न्यायालय जे0एम0-प्रथम सहारनपुर) को ग्राम जानखेड़ा से गिरफ्तार का किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सतवीर पुत्र विशम्बर नि0 ग्राम सिंहखेडा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. साबिर पुत्र अब्बास नि0 ग्राम नाई नंगली उर्फ माजरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. बलवन्त उर्फ बन्ता पुत्र गुरचरण नि0-ग्राम जानखेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

अभियुक्त बलवन्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 328/17 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. है0का0 1003 सुशान्त थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

दिनांक –30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के अपहरण के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.11.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त विशाल सहगल पुत्र रोबिन निवासी मौ0 हरिजनान थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0स0-348/2024 धारा 87 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग के अपहरण के मामलें में वाछित **अभियुक्त विशाल सहगल पुत्र रोबिन निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को सेफ हाऊस पुलिस लाईन कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे धारा 137(2),64 बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विशाल सहगल पुत्र रोबिन निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. हे0का0 1128 राजेन्द्र थाना सरसावा सहारनपुर
3. म0का0 917 मनीता थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांक –30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामलें में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2023 को वादी श्री कलीराम पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम ननवाखेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. यशपाल पुत्र फूल सिंह निवासी मधुबन विहार कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर व 2. इलमचन्द पुत्र फूल सिंह निवासी मधुबन विहार कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी की जमीन का बैनामा कर देने की सूचना के आधार पर थाना नकुड पर मु0अ0स0-178/2023 धारा 420/467/468/471 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **02 वांछित अभियुक्तगण 1.यशपाल पुत्र फूल सिंह निवासी मधुबन विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर व 2. इलम चन्द पुत्र फूल सिंह निवासी मधुबन विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर** को मधुबन विहार कालोनी सदर बाजार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. यशपाल पुत्र फूल सिंह निवासी मधुबन विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. इलम चन्द पुत्र फूल सिंह निवासी मधुबन विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. हे0का0 251 विदोष थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 1497 मोनू थाना सरसावा सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा अवैध रूप पशु कटान करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 छुरी, 01 कुल्हाडी, 03 रास रस्सी, करीब 06 कुन्तल भैस का मांस, 03 कटरे के सिर व 12 पैर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध पशु कटान की रोकथाम व अवैध रूप से पशु कटान करने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान अवैध रूप से पशुओ का कटान करने वाले शातिर अभियुक्त **मोहम्मद जैद पुत्र जमशेद उर्फ भुरा नि0 8/5 कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को कमेला कालोनी में कुरेशियाना मस्जिद से आगे एक मकान के अन्दर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के 03 अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 453/24 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम व धारा 271/272 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

मोहम्मद जैद पुत्र जमशेद उर्फ भुरा नि0 8/5 कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 03 छुरी नाजायज
- 01 कुल्हाडी
- 03 रास रस्सी
- 06कुन्तल भैस का मांस
- 03 कटरे के सिर
- 12 पैर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजबहादुर राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 737 अरुण तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 157 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक 27.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडितों के साईबर फ्राड मे ठगे गये 6502/- रुपये कराये गये वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2024 को वादी श्री शशीकान्त पुत्र राजपाल नि0 ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के द्वारा अवगत कराया कि अज्ञात साईबर ठगों द्वारा वादी को फोन पर वादी का जानकार बताकर 6507/- रूपये की धनराशि की ठगी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क द्वारा शिकायत संख्या 33110240126216 दर्ज करायी गयी व दिनांक 18.11.24 को वादी सागर नि0 मन्धौर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा अवगत कराया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझसे धोखाधडी कर 3000/- रुपये ट्रांसफर करा लेने के सम्बन्ध में थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क द्वारा शिकायत संख्या 23111240143666 दर्ज करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में धोखाधडी कर ठगी गयी धनराशि को पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी शशीकान्त की ठगी गयी कुल 6507/- रूपये की धनराशि पेटीएम पेमन्ट बैंक मे फ्रीज करायी गयी थी। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 30/11/2024 को **थाना साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते में कुल 6507/- रुपये की धनराशि में से 3502/- रूपये की धनराशि वापस** करायी गयी है। तथा वादी सागर द्वारा की गयी शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित की ठगी गयी कुल 3000/- रूपये की धनराशि पीएनबी बैंक मे फ्रीज करायी गयी थी। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 30/11/2024 को **थाना साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते में कुल 3000/- रूपये की धनराशि वापस** करायी गयी है। पीडितो द्वारा थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साईबर हैल्प डेस्क टीम

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. क0आ0 सुमित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. म0है0का0 761 रुबी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 2246 लोकेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहरनपुर

दिनांकः 30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा नाबालिग किशोर से कुकर्म के मुकदमें मे 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.11.2024 को वादी द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. जहीर पुत्र अकरम निवासी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द, सहारनपुर व 2. साकिब पुत्र अनीस निवासी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द, सहारनपुर द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ गलत काम करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0 656/2024 धारा 115(2) व 351(2) बीएनएस व 3(क)/4(2) पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश - निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.11.2024 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए कुकर्म के मुकदमें में वांछित **अभियुक्त साकिब पुत्र अनीस निवासी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द, सहारनपुर** को ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साकिब पुत्र अनीस निवासी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
2. का0 2398 अमरजीत सिहं थाना देवबंद जिला सहारनुर।

दिनांकः 30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साईकिल सहित 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम हेतू चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग अभियान के अनुपाल में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29/11/2024 को रात्रि चैकिंग के दौरान थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा नकुड चौराहे के पास से **अभियुक्त सरवर पुत्र इरशाद नि0 ग्राम धलापडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को चोरी की मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद मोटर साईकिल के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर **मु0अ0स0 700/24 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत है गिरफ्तारी व बरामदगी आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-514/24 धारा 317(5) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मै सहारनपुर काम से गया था जहां लालच में आकर मैने मोटर साईकिल चोरी कर ली थी और आज इसे बेचने की फिराक मे रात को गंगोह जा रहा था कि रास्ते में ही पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सरवर पुत्र इरशाद नि0 ग्राम धलापडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 मोटर साईकिल (हीरो स्पलैंडर प्लस) रजि0 नं0 UP11CN8753 चेसिस न0 MBLHAW219PHG15069 इंजन न0 HA11E7PHG14848

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सरवर

(1) मु0अ0सं0 274/18 धारा 376डी/506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्तगणो का नाम व पताः-

1. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांकः 30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मात्र 03 घण्टे में 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 कट्टे (बोरा) सरसों के (कुल 70 किलोग्राम) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.204 को वादी श्री जशवीर त्यागी पुत्र हरफूल सिंह निवासी चन्द्रपालखेडी थाना व कस्बा नकुड जिला सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत वादी के घेर से रात्रि में 02 कट्टे (बोरा) सरसों वजन करीब 70 किलोग्राम चोरी कर ले जाना के सम्बन्ध मे दी गयी,इस सूचना पर थाना नकुड पर मु0अ0स0 415/24 धारा 305 बीएनएस बनाम जुल्फान पुत्र इरफान निवासी मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड जिला सहारनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियंत्रण व चोरी की घटनाओं की रोकथाम तथा अपराधियों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 30.11.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त जुल्फान पुत्र इरफान नि0 मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड जिला सहारनपर** को अम्बैहटा पीर रोड पर पट्रौल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया , कब्जे से 02 कट्टे (बोरा) सरसो के बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोंक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैने कल रात्रि में मौ0 चन्द्रपाल खेडी कस्बा नकुड मे बने एक घेर से इन दोनो सरसो के कट्टों को चोरी किया था, आज मै इन दोनो कट्टो को बेचने के लिये 50 रूपये मे किराये पर ई रिक्शा करके जा रहा था तभी मुझे पुलिस वालो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जुल्फान पुत्र इरफान नि0 मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड जिला सहारनपर

बरामदगी का विवरण –

- 02 कट्टे सरसों (कुल 70 किलोग्राम)

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थान नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.11.2024 को चैकिंग के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 **अभियुक्त अक्षय पुत्र कैलाश निवासी नाजिरपुरा रविदास मन्दिर के पीछे थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को मढ रोड़ से 01 नाजायाज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 484/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अक्षय पुत्र कैलाश निवासी नाजिरपुरा रविदास मन्दिर के पीछे थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त कैलाश का आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 399/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 152 गौरव त्यागी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः 30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-04, सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 29.07.2021 को वादी अनीस पुत्र इमरान नि0 शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-इकबाल पुत्र भूरा कुरैसी नि0 शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात, 2-वसीम पुत्र इकबाल नि0 उपरोक्त 3-इकराम उर्फ गूगा पुत्र भूरा कुरैसी नि0 उपरोक्त द्वारा वादी के भाई साजिद उम्र-24 को लाठी-डण्डों व चाकू से मार कर हत्या कर देने की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0-353/2021 धारा 302,34 भादवि के पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 2204/2021 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-04 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश एडीजे-04 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 30.11.2024 को अभियुक्त 1-इकबाल पुत्र भूरा कुरैसी, 2-वसीम पुत्र इकबाल व 3-इकराम उर्फ गूगा पुत्र भूरा कुरैसी निवासीगण ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-353/2021 धारा 302,34 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री राकेश सहल
विवेचक निरीक्षक श्री उमेश रोरिया
पैरोकार-का0 2328 कौशल कुमार थाना कोतावाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 30.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि आज दिनांक 30.11.2024 को यातायात माह नवंबर 2024 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री मनीष बसंल, जिलाधिकारी सहारनपुर, श्री रोहित सिंह सजवाण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा दीप प्रजव्लित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सिद्धार्थ वर्मा द्वारा यातायात माह के दौरान जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा की गयी जागरूकता एवं प्रवर्तन की कार्यवाही से अवगत कराया गया, जिसमें यातायात माह के दौरान 120 स्कूल/कॉलेजो में जाकर 18 हजार स्कूली छात्र–छात्राओं को जागरूक किया गया एवं करीब 22 हजार आम जनमानस/वाहन चालको को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त 27580 वाहनों के चालान कर 09 लाख रूपये का शमन शुल्क प्राप्त किया गया।

कार्यक्रम के दौरान श्री सुमित महाजन, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर, श्री सागर जैन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर, श्री एम0पी0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, श्रीमती रूची गुप्ता क्षेत्राधिकारी गंगोह, व अन्य उच्चाधिकारीगण(पुलिस/प्रशासन), शहर के व्यापारी, ट्रांसपोटर्स, पार्षद तथा सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित रहें।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नुक्कड़ नाटक करते हुये आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, जिसके दौरान एन0सी0सी0 कैडेट्स, ट्रैफिक वार्डन, स्कॉउट्स गाईड तथा अन्य स्कूल/कॉलेजों के छात्र–छात्रायें, जिनके द्वारा माह के दौरान आयेाजित निबन्ध तथा चित्रकलां प्रतियोगित आदि यातायात जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान चिन्ह प्रदान किये गये।

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि श्रीमान् जिलाधिकारी, सहारनपुर महोदय एवं श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा सम्बोधन करते हुये आमजन से यातायात नियमों का पालन करने हेतु अपील की गयी।

''आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व''